क्रम-संख्या—185

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 16 जुलाई, 2007

आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1254/79-वि-1-07-1(क)23-2007

लखनऊ, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2007 का निरसन

3–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005) का अधिनियमन राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और नेता विरोधी दल को लखनऊ में समुचित वास-स्थान प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। उक्त अधिनियम में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण एवं प्रबन्ध के अधीन कतिपय आवासों को राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और दोनों सदनों के नेता विरोधी दल के शासकीय आवास के रूप में उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त अभिहित किये जाने की व्यवस्था थी। उक्त अधिनियम के उपबन्धों से आवासों के आवंटन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी और कभी-कभी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कारवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

No. 1254/LXXIX-V-1–07-1(Ka)23-2007
Dated Lucknow, July 16, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Adhikari Evam Neta Virodhi Dal Ke Avas) (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 13, 2007.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (RESIDENCES OF THE OFFICERS AND LEADERS OF OPPOSITION) (REPEAL) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 13 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the O0fficers and Leaders of Opposition) Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) (Repeal) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.

Repeal of U.P. Act no. 12 of 2005

2. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Act, 2005 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Ordinance no. 7 of 2007

3. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of opposition) (Repeal) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Act, 2005 (U.P. Act no. 12 of 2005) was enacted to provide for giving proper accommodation at Lucknow to the Officers and Leaders of Opposition of State Legislature. The said Act provided for designating certain residences under the control and management of the Estate Department as the official residences of the Officers and Leaders of Opposition of either House of the State Legislature throughout the term of their officers. The provisions of the said Act were creating difficulties and some time serious situation arised in the allotment of residences. It was, therefore, decided to repeal the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) (Repeal) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 7 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०ए०पी० 277 राजपत्र(हि०)–(751)–2007–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०. ए० पी० 166 सा० विधायी–(752)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।